संख्या दिनांक 74/वन/2001

प्रेषक,
श्री शत्रुघ्न सिंह
सचिव, उत्तरांचल

सेवा में
जिलाधिकारी

चमोली/गढ़वाल/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/अल्मोड़ा/चम्पावत/बागेश्वर/पिथौरागढ़/उधम सिंह नगर।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादून, दिनांक, 24 अप्रैल, 2001

विषय : वनों में आग की रोकथाम के लिये प्रभावी रणनीति तैयार किये जाने हेतु प्रदेश के जनपदों/ब्लॉक में जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वनों में अग्नि घटनाओं से प्रतिवर्ष बहुमूल्य राष्ट्रीय वन सम्पदा की अपूर्णीय क्षति होती है। वनों पर ग्रामीणों की अत्यधिक आर्थिक निर्भरता होने के कारण अग्नि घटनायें, बाढ़ व सूखे जैसी दैवीय आपदा के समान है। वनों में आग की रोकथाम के लिए यद्यपि वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतू कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार कर ली गई है, परन्तु आग पर नियन्त्रण पाने का दायित्व केवल वन विभाग द्वारा निर्वहन किया जाना सम्भव नहीं है। समस्या के निदान हेतु अन्य विभागों, स्थानीय जनता व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त किया जाना भी अति आवश्यक है।

2. उत्तरांचल के समस्त जनपद अग्नि घटनाओं के सम्बन्ध में संवेदनशील है। अतः वनों में आग की रोकथाम के लिये रणनीति तैयार किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति का स्वरूप निम्नवत् रहेगा–

जिला स्तरीय समिति

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हों	सदस्य
5.	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6.	जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रूचि रखते हों	सदस्य
7.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य संयोजक

3. इसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में विकास खण्ड स्तरीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिसक सदस्य निम्नवत् होगें।

1.	ब्लॉक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य

3.	मुख्यालय पर संबंधित थाने का थानाध्यक्ष	सदस्य
4.	परगनाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो	सदस्य
5.	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 ग्राम प्रधान	सदस्य
6.	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रूचि रखते हों	सदस्य
7.	सहायक वन संरक्षक	सदस्य / संयोजक

4. समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे–

1. आरक्षित, सिविल व पंचायत वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात व अनुरूप उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
2. सिविल वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. पंचायत वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु पंचायतराज विभाग वन पंचायत, सरपंच एवं ग्रामीणों की भूमिका तय करना व उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
4. लोक निर्माण विभाग, डी0जी0बी0आर0 की सड़कों को पक्का कराये जाने आदि के कार्यों के समय वनों की आग से सुरक्षा हेतु सतर्कता बरतना एवं इन विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना।
5. वनों में अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा कार्य का सिंहावलोकन व इनका अनुश्रवण किया जाना।
6. वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी कार्यवाही करना, जिसे समिति आवश्यक समझे।
7. शासन को विशेष अतिरिक्त उपाय एवं संसाधनों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रषित करना।

5. समिति द्वारा अपनी बैठक विशेष रूप से माह अप्रैल से जून की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाये। इसके अतिरिक्त आपातकाल में बैठक तत्समय आयोजित की जा सकती है। कृपया समिति की प्रथम बैठक तत्काल आयोजित कर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

शत्रुघ्न सिंह
सचिव, वन एवं पर्यावरण
उत्तरांचल

संख्या 74 / वन / 2001 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को 50–50 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / मुख्य विकास अधिकारी को छोड़कर जिला / ब्लाक स्तरीय समिति को इसे वितरित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।
4. मुख्य विकास अधिकारी।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. समस्त वन संरक्षक एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
7. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल।
8. संबंधित समस्त प्रभागीय वनाधिकारी।
9. सूचना निदेशक, उत्तरांचल।
10. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।

आज्ञा से

शत्रुघ्न सिंह
सचिव, वन एवं पर्यावरण
उत्तरांचल